

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-14/2016- 12/4 दिनांक- 13-09-17

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल/चाईबासा वन प्रमंडल/साहेबगंज वन प्रमंडल/लोहरदगा वन प्रमंडल/गुमला वन प्रमंडल/दुमका वन प्रमंडल/पाकुड़ वन प्रमंडल/

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मधु उत्पादन को प्रोत्साहन, बाँस हस्त निर्मित वस्तु तैयार करने हेतु प्रशिक्षण, मशीन एवं टूल्स कीट का वितरण तथा काजू प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु एक वर्षीय कार्य के लिए कुल रु० 146.330 लाख (एक करोड़ छियालीस लाख तैनीस हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०बजट-40/2017-26/स्वी० व० प० दिनांक-04.09.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-40/2017-61/आ० व०प० दिनांक 05.09.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल रु० 146.330 लाख (एक करोड़ छियालीस लाख तैनीस हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796090103	52.021
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796090323	92.111
प्रशिक्षण	19S240601796090335	2.198
कुल :-		146.330

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) से (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796090103, 19S240601796090323 एवं 19S240601796090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्रावक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय का समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विष्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रॉची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—14 / 2016—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/राँची/दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/चाईबासा/दुमका/गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—14 / 2016—12/14 दिनांक— 19-09-17

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/चाईबासा/साहेबगंज/लोहरदगा/गुमला/पलामू/दुमका/पाकड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—14 / 2016—12/14 दिनांक— 19-09-17

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (जनजातीय क्षेत्र) अन्तर्गत रायुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मधु उत्पादन के प्रोत्साहन एवं बांस हस्त निर्मित वस्तु तैयार करने हेतु प्रशिक्षण एवं मशीन एवं टूल्स कीट का वितरण तथा काजू प्रोसिसिंग प्लांट की स्थापना का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

अनुलग्नक-1(क)

क्र. रा.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	सत्र की संख्या (प्रति सत्र @ 313000 रु0 15 दिनों के लिए)	कुल प्राकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 (राशि लाख में)			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
क	बांस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करने हेतु प्रशिक्षण						
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी जमशेदपुर वन प्रमण्डल	4	12.520	4.462	7.876	0.182	12.520
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वाईबासा वन प्रमण्डल	2	6.260	2.232	3.938	0.090	6.260
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी साहेबगंज वन प्रमण्डल	2	6.260	2.232	3.938	0.090	6.260
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी लोहरदगा वन प्रमण्डल	4	12.520	4.462	7.876	0.182	12.520
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी गुमला वन प्रमण्डल	2	6.260	2.232	3.938	0.090	6.260
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल	2	6.260	2.232	3.938	0.090	6.260
योग :-		16	50.080	17.852	31.504	0.724	50.080

अनुलग्नक-1(ख)

ख	मधु उत्पादन का प्रोत्साहन	यूनिट की संख्या (प्रति यूनिट @ 315000 रु0)	कुल प्राकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 (राशि लाख में)			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल	7	22.050	7.503	14.215	0.332	22.050
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी दुमका वन प्रमण्डल	7	22.050	7.503	14.215	0.332	22.050
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी पाकुड वन प्रमण्डल	5	15.750	8.477	7.108	0.165	15.750
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी साहेबगंज वन प्रमण्डल	6	18.900	4.353	14.215	0.332	18.900
योग :-		25	78.750	27.836	49.753	1.161	78.750

अनुलग्नक-1(ग)

ग	काजू प्रोसिसिंग प्लांट की स्थापना						
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी दुमका वन प्रमण्डल	1 यूनिट	17.5	6.333	10.854	0.313	17.500
योग :-			17.500	6.333	10.854	0.313	17.500
सकल योग (क, ख एवं ग) :-			146.330	52.021	92.111	2.198	146.330

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,


जारखण्ड, राँची

The scheme of value addition to bamboo found in various parts of Jharkhand State

Sl. No.	Item of Work	Unit rate (Rs)	Amount (Rs)	Remarks
i	ii	iii		iv
1	Bamboo processing kits (Including cutters, Knife, chisel etc) for 6 JFMC's with 30 beneficiaries/IFMC's	7000.00	2,10,000.00	
2	Skill upgradation Training	L.S	88,000.00	
3	Seed money to be given through JFPC account	500.00	15,000.00	
Total :-			3,13,000.00	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

ज्ञारखण्ड राँची।



राज्य में ग्रामीण वन सुरक्षा समिति के माध्यम से मधुमक्खी पालन

क्र० सं०	कार्य विवरणी	अनुमानित राशि प्रति यूनिट	कुल
i	ii	iii	iv
1	पाँच व्यक्ति के एक इकाई को 10 डब्बे प्रति इकाई मधुमक्खी पालन हेतु उपलब्ध कराये जाने पर अनुमानित खर्च, कीट के साथ 50,000 रु० प्रति समुह (5 समूह)	10,000.00	2,50,000.00
2	प्रशिक्षण हेतु खर्च (प्रति व्यक्ति 2000रु०)	2,000.00	50,000.00
3	अन्य खर्च	15,000.00	15,000.00
कुल :-			3,15,000.00

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड राँची।

अनुलग्नक-2(ग)

दुमका क्षेत्र में सेमी ऑटोमेटिक काजू प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	अनुमानित राशि प्रति यूनिट	कुल
i	ii	iii	iv
1	काजू प्रोसेसिंग प्लांट Semi Automatic 60 Kg (Output)	6,00,000.00	6,00,000x2= 12,00,000.00
2	संबंधित ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति को काजू प्रोसेसिंग संग्रहण, पैकेजिंग तथा विपणन कार्य के लिए सुदृढ़ बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए वन विकास अभिकरण, दुमका के पक्ष में राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान		5,00,000.00
3	प्रशिक्षण कार्य		50,000.00
कुल :-			17,50,000.00

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास

झारखण्ड राज्य।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-14/2016/1214

दिनांक -

19-Sep-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62067	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	446,200.00 रुपये चार लाख छयालीस हजार दो सौ
2	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62068	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO CHAIBASA FOREST DIV.	223,200.00 रुपये दो लाख तेहस हजार दो सौ
3	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62069	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	658,500.00 रुपये छ: लाख अठावन हजार पौँच सौ
योग: 1,327,900.00				
क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख सत्ताइस हजार नौ सौ				


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.P6PDIWANAFSHAND


क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लक्षु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62070	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	1,196,500.00
5	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लक्षु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62071	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	223,200.00
6	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लक्षु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62072	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	1,606,800.00
योग: 3,026,500.00				
क्रमिक योग: रुपये तीररयालीस लाख चौपन हजार चार सौ 4,354,400.00				
 (SHRI SATNAM SINGH) ADDI.P.S. PANCHI 117/162/33/12				
Page 2 of 7 Run Date: 19/9/2017				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796090103	62073	PKRFOR001	847,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAJNISH KUMAR	रुपये आठ लाख सैतालीस हजार सात सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIVISIONAL FOREST	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		OFFICER	
	01 - बेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		
8	S 19 240601796090323	62074	JSRFOR051	787,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHABA ALAM ANSARI	रुपये सात लाख सित्यासी हजार छ:
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.JAMSHPUR	सौ
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		PRM.JSR.	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		
9	S 19 240601796090323	62075	SGHFOR010	393,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		KUMAR ASHUTOSH	रुपये तीन लाख तिरनावे हजार आठ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		(I.F.S.)	सौ
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		DFO.CHAIBASA	
	03 - प्रशासनिक व्यय		FOREST DIV.	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		
				2,029,100.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये तीरसठ लाख तिरयासी हजार पैंच सौ			6,383,500.00

ADDI.P&P DEO VANARSHI HAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796090323	62076	SBJFOR001	1,815,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MANISH KUMAR TIWARY	रुपये अठारह लाख पंद्रह हजार तीन।
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV.FOR.OFF.SAHIBG	संस्कृति
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		NJ	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)			
	Central Scheme : NA			
11	S 19 240601796090323	62077	LDGFOR001	2,209,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		VIKASH KUMAR UJJWAL	रुपये बाइस लाख नौ हजार एक रु
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV.FOREST OFFICER	संस्कृति
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)			
	Central Scheme : NA			
12	S 19 240601796090323	62078	GMLFOR001	393,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		AJIT KUMAR SINGH	रुपये तीन लाख तिरनवे हजार आठ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. GUMLA	संस्कृति
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)			
	Central Scheme : NA			
				4,418,200.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड आठ लाख एक हजार सात सौ			10,801,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PS.PARIWANARSHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62079	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	2,900,700.00 रुपये उन्तीस लाख सात रुपये
14	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62080	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	710,800.00 रुपये सात लाख दस हजार आठ रुपये
15	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62083	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	18,200.00 रुपये अठारह हजार दो रुपये
<hr/>				
योग:				3,629,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड चवालीस लाख इकतीस हजार चार रुपये			14,431,400.00
<hr/>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62085	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	9,000.00 रुपये नौ हजार
17	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62087	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	42,200.00 रुपये बयालीस हजार दो रुपये
18	S 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62089	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	51,400.00 रुपये इकावन हजार चार रुपये
योग: 102,600.00				
क्रमिक योग: 14,534,000.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796090335	62091	GMLFOR001	9,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		AJIT KUMAR SINGH	रुपये नौ हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	09 - लघु बन पदार्थों का उन्नयन		D.F.O. GUMLA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	35 - प्रशिक्षण व्यय			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		
20	S 19 240601796090335	62093	DMKFOR010	73,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ABHISHEK KUMAR	रुपये तीहत्तर हजार पौंच रु.
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	09 - लघु बन पदार्थों का उन्नयन		D.F.O.DUMKA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	35 - प्रशिक्षण व्यय			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		
21	S 19 240601796090335	62095	PKRFOR001	16,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAJNISH KUMAR	रुपये सोलह हजार पौंच सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	09 - लघु बन पदार्थों का उन्नयन		DIVISIONAL FOREST OFFICER	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	35 - प्रशिक्षण व्यय			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		
				99,000.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड छयालीस लाख तैतीस हजार			14,633,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PROP.DIV.VANARSHI